

(1)

वैवाहिक प्र0क0 72/2017

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

वैवाहिक प्र0क0 72/2017  
प्रस्तुति दिनांक 06-10-17

राजेंद्र बाथम पुत्र बनवारीलाल बाथम आयु 27 वर्ष,  
जाति बाथम निवासी जडेरुआ कला पिन्टो पार्क  
ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

॥ वि रू द्ध ॥

श्रीमती पम्मी मांझी पत्नी राजेंद्र बाथम पुत्री भगवती  
प्रसाद मांझी आयु 24 वर्ष जाति मांझी निवासी भानू  
की घटिया वाली गली वार्ड नंबर 6 गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा-श्री धर्मेन्द्र पाण्डे अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा-श्री के0के0 शुक्ला अधिवक्ता
--

॥ नि र्ण य ॥

(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)

01. आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से यह याचिका, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 06.10.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

**02.** उभयपक्ष याचिका प्रस्तुति दिनांक 06.10.2017 को न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि आपस में मन नहीं मिल पाने के कारण अब उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिये जाने का निवेदन किया गया तथा उक्त संबंध में उनके शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

**03.** उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी प्रथा के अंतर्गत दिनांक 09.03.2015 को सम्पन्न होने के कारण वे परस्पर पति-पत्नी हैं। शादी के पश्चात् से ही आवेदक व अनावेदिका का आपस में मन नहीं मिल रहा है, इसलिये स्वेच्छयापूर्वक एक दूसरे के साथ पति पत्नी के संबंध स्थापित करते हुये एक साथ पति पत्नी के रूप में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं तथा आवेदक व अनावेदिका पृथक-पृथक रूप से स्वतंत्र होकर अपना स्वेच्छयापूर्वक विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आपस में मतभेद बढ़ जाने के कारण एक साथ रहकर जीवन गुजारना संभव नहीं रह गया है। अतः आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से आपसी सहमति के आधार पर स्वेच्छयापूर्वक विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुये यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

**04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

<b>01.</b>	क्या आवेदक एवं अनावेदिका विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
------------	--

//सकारण निष्कर्ष//

**05.** आवेदिका एवं अनावेदक के प्रश्नगत याचिका के संबंध में याचिका प्रस्तुति से 6 माह गुजर जाने के पश्चात् दिनांक 26.04.2018 को कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि दिनांक 09.03.2015 को ग्राम जड़ेरूआ कला पिन्टो पार्क ग्वालियर में

हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात से ही आवेदक व अनावेदिका के मध्य कतई आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण निरंतर मतभेद रहा है, इस कारण से वे विगत करीब ढाई साल से अर्थात् याचिका प्रस्तुति से करीब दो साल पूर्व एक-दूसरे से अलग-अलग रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहकर जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उनके मध्य कतई आपसी सहमति नहीं बन पा रही है।

**06.** आवेदक राजेंद्र आ0सा0-1 एवं अनावेदिका श्रीमती पम्मी अना0सा0-1 का अपने कथनों में यह भी कहना है कि आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण उनका एक साथ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना बिल्कुल संभव नहीं है। इस कारण से उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक आपसी सहमति से उनके मध्य हुये विवाह दिनांकित 09.03.2015 को विच्छेदित किये जाने हेतु याचिका पेश की है। तदनुसार विवाह विच्छेद किये जाने का निवेदन किया गया है।

**07.** उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है तथा मामले में इस न्यायालय द्वारा एवं मीडियेशन के माध्यम से तक एक साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने के लिये भरपूर प्रयास किया जा चुका है, जो कि असफल रहा है और उभय पक्ष स्वेच्छा से विवाह विच्छेद संबंधी अपने आपसी फैसले पर अडिग हैं। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

**08.** परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1	आवेदक राजेंद्र बाथम एवं अनावेदिका श्रीमती पम्मी मांझी के मध्य हुआ विवाह दिनांक 09.03.2015 को विच्छेदित किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक आज निर्णय दिनांक 27.04.2018 से परस्पर पति पत्नी नहीं रहेंगे।
---	---

2	उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, 500/- रुपये की सीमा तक मान्य की जाती है।
---	--

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)